

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता।

पत्रांक-1757/12-1

दिनांक, चकराता 04- दिसम्बर 2018

सेवा में,

579
66
2/18

अधिशाली अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड,
लोक निर्माण विभाग, सहिया।

विषय-

जनपद-देहरादून में अन्तर्गत ग्राम-प्लान से ग्राम-बिहार तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु अपेक्षित वन भूमि 2.271 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ -

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक-1183 दि० 31.10.2018

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र सं०-8बी/यू०सी०पी०/06/54/2016/एफ०सी०/1549 दि० 26.10.2018 से जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून के संदर्भित पत्र के अनुपालन में विषयाकित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रत्यावेदन के फलस्वरूप प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा देय धनराशियों का विवरण निम्नानुसार है -

क्र०सं०	कार्य का विवरण	क्षेत्रफल/लम्बाई	दर	देय धनराशि
1	क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों के अनुरक्षण पर व्यय।	4.542 है०	2,78,665/-	12,65,696.00
2	एन०पी०वी०	2.271 है०	6,57,000/-	14,92,047.00

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार ऑनलाईन चालान जनरेट कर देय धनराशियों के भुगतान हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति शर्त सं०-1 एवं 2 के अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता।

पत्रांक-1757/12-1 तदुद्दिनांकित

प्रतिलिपि अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून को संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता।